चेक लिस्ट क्र. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमे 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल (छ.ग.)

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,

तहसील–धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषयः– रायगढ़ जिला अंतर्गत धरमजयगढ़ –कापू मार्ग कुल लंबाई 32.956 कि. मी के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक /2549/वा0ना0 तह0 /2020, धरमजयगढ़ दिनांक 08/12/2020–

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में ग्राम खम्हार पटवारी हल्का नंबर 06 राजस्व निरीक्षक मंडल खम्हार तहसील धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़(छ0ग0) के कक्ष कमांक 629 रकबा 0.486 हें0 वन परिक्षेत्र बोरो में वन भूमि प्रभावित है जिसमें प्रभावित रकबा में किसी भी व्यक्ति के वनाधिकार पत्र प्राप्त नहीं है तथा प्रभावित कक्ष कमांक 629 रकबा म0.486 हें भूमि पर वनाधिकार पट्टा नही मिला है।

अतः यह प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

पटवारी
प0ह0नं0– 06
तहसील–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

का कार्यवाही विवरण

ग्राम खम्हार ग्राम पंचायत खम्हार दिनांक 28/11/2020

स्थान सामुदायिक भवन खम्हार

आज दिनांक 28/11/2020 को ग्राम खम्हार के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] सदस्य 56/100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम खम्हार मे आवेदक A.D.B. (PWD) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व/वन भूमि कुल 0.486 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि कक्ष 629 रकबा 0.486 हे. सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	खम्हार	निरंक	—
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.486 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] (आवेदक) [illegible] (ADB) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

वन अधिकार समिति

सचिव ग्राम पंचायत-खम्हार ज.पं.-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

सरपंच ग्राम पंचायत खम्हार ज.प.-धरमजयगढ़

पटवारी संतोष कुमार पाली

पंचायत प्रतिनिधि [illegible]

अध्यक्ष वन अधिकार समिति ग्राम पो०-खम्हार तहसील-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर

नाम

Certified Chhattisgarh

C:\Users\admin\Downloads\42526(1).docx Page 2

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित केया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना....................हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ....खम्हार.................आश्रित खम्हार ग्राम ....खम्हार..................को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

सचिव
ग्राम पंचायत–खम्हार
ज0प0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ0ग0)

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.–धरमजयगढ़

हस्ताक्षर/**सील हस्ताक्षर/सील**

सचिव सरपंच

वन एव राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम खम्हार के परिक्षेत्र बोरो मे कक्ष क्र0 629 .... वनभूमि 0.486 हे0 हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक............ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर
परिक्षेत्र सहायक
जमरगीडी

पटवारी
संतोष कुमार पाली
प.ह.नं. 36
त.धरमजयगढ़ जि.रायगढ़

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.प.–धरमजयगढ़

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम पो0–खम्हार
तहसील–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

25.1

कार्यालय ग्राम पंचायत खम्हार, जनपद पंचायत धरमजयगढ़

जिला रायगढ़ (छ०ग०)

ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण की नकल

दिनांक 02/12/

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव का विषय	कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ता
1	2	3	4	5	6
1.	श्री चिन्तामणी राठिया सरपंच	प्र०क्र० 03 धरमजयगढ़ के कार मार्ग 32.59 कि.मी. वन अधिकार समिति के संबंध में वन अधिकार नियम 2006 धारा 3(1) एवं 3(2) के संबंध में।	आज दिनांक 02/12/2020 को ग्राम पंचायत की बैठक श्री चिन्तामणी राठिया सरपंच की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के चर्चा कर निर्णय लिया गया कि धरम० के कार मार्ग 32.59 किमी. चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण में वन अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत कक्ष क्र. 629 रकबा 0.486 हे. वन परिक्षेत्र कोरो में वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा के द्वारा भूमि व्यक्तिगत के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गैर परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़ के तहत ग्राम कक्ष के रोड के समीप किसी को वन अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया गया है।	उक्त प्रस्ताव उपस्थित पंचों की सर्वसम्मति से पारित किया गया।	ह
2.	" जगसिंह राठिया उपसरपंच				
3.	" परमल पंच				
4.	" मनोज "				
5.	" हिरा राम "				
6.	" लीलाराम "				
7.	" धुरसाय "				
8.	" नंदकुमार "				
9.	श्रीमति निर्मला "				
10.	" नीलम "				
11.	" जगबेला "				
12.	" देवमती "				
13.	" फुलेश्वरी "				13 लो

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत–खम्हार
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ0ग0)

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.प.–धरमजयगढ़

प्रति,
श्रीमान् तहसीलदार महोदय
धरमजयगढ

विषय :- रायगढ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ - बापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 किमी के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वनाधिकार मान्यता पत्र विवरण संबंधी

संदर्भ :- न्यायालय तहसीलदार धरमजयगढ के ज्ञापक क्र 2569/वाचक/[illegible]/2020 दिनांक 8/12/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में ग्राम [illegible] के खसरा 209/16, 558/16, 558/95, 560/16 में से 0.540, 0.830, 1.132 हेक्टर भूमि प्रभावित है जिसमें प्रभावित रकबा में [illegible] की भूमि को वनाधिकार पत्र प्राप्त नहीं है तथा प्रभावित 3.54 में 0.620 हेक्टर भूमि पर वनाधिकार पत्र नहीं मिला है।

अतः प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु

सादर प्रेषित।

[illegible] 10/12/2020

253

का कार्यवाही विवरण

ग्राम मिरिगुड़ा ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा दिनांक 16/10/20..

स्थान मिरिगुड़ा

आज दिनांक .... को ग्राम मिरिगुड़ा के सरपंच श्री/श्रीमती सुकान्ति...

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के ...

सदस्य .... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम मिरिगुड़ा मे आवेदक A.D.B.C.P.D.O. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल 354 हे. वन भूमि 0.626 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.626 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी। खसरा क्र. 558/1K – 0.83 558/9K – 1... 209/1K 0.54 हे. कुल 2.502

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सड़क निर्माण कार्य कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	मिरिगुड़ा	निरंक	00-00
02	मिरिगुड़ा	निरंक	0-0-0

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कुल क्र. 354 हे. वन भूमि 0.62.. खसरा 558/1K - 0.83, 558/9K - 1.132, 209/1K 0.54 कुल - 2.502 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.626 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स .... प.नि.वि. (आवेदक) धरमजयगढ़ बिलासपुर (ADB PDO) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
जनपद पंचायत धरमजयगढ़

सरपंच
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
ज0पं0 – धरमजयगढ़

वन अधिकार सदस्य

हस्ताक्षर दरबार सिंह
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
नाम दरबार सिंह

(4) पतसाई
(5) ...

254

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना .छ.रा.स.क्षे.परि.प्र.बिलासपुर. ADB (PWD) .हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत .....मिरिगुड़ा...............आश्रित मिरिगुडा ग्राम ....मि.रिगुड़ा......को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

सचिव
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
जनपंद पचायत धरमजयगढ़

सरपंच
ग्राम पंचायत मिरिगुडा
ज0पं0—धरमजयगढ़

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर्व

255

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम मिरिगुडा के परिक्षेत्र धरमजयगढ़ में कक्ष क्र0 354 .... वनभूमि 0.620 हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक........ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निषादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुंदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

16/10/20

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर्व

दरबार सिंह
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्रा.पं. मिरीगुडा

वन विभाग के हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति स

① S. Mahilane
②
③ रतनराम
④ रुपिसराम
⑤ सावंतसिंह

कार्यालय, ग्राम-पंचायत मिरिगुड़ा

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 15/12/2022

Jaisri

विकास खण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
श्रीमती	सुनीतिबाई राठिया सरपंच	काटू-धरमजयगढ़ मार्ग 32.596 KM में प्रस्तावित ग्राम मिरिगुड़ा के वनक्षेत्र राजस्व भूमि की सहमति प्रस्ताव	प्रस्ताव क्रमांक ② पर विचार विमर्श किया गया कि धरमजयगढ़ काटू 32.59 KM के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के [illegible] अधिकार नियम 2006 के अन्तर्गत ख.न. 55911 से 55919 व 20911 के कुल 354 राजस्व भूमि कुल रकबा - 2.502 है वन भूमि कुल रकबा 0.626 है प्रभावित क्षेत्र वन अधिकार [illegible] एवं ग्राम सभा के द्वारा भूमि [illegible] के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति और गैर परम्परागत वन निवासी [illegible] ग्राम मिरिगुड़ा के प्रभावित क्षेत्र [illegible] को वन अधिकार पत्र [illegible] नहीं किया गया है		सर्व [illegible]
"	देवनाथ राठिया उपसरपंच				
"	सकुन पंच				
"	सहपति पंच				
"	कुशमवती पंच				
"	रूपमति पंच				
"	सत्यपति पंच				
श्री	हरिप्रसाद पंच				
श्रीमती	[illegible] पंच				
"	पुष्पा पंच				
"	[illegible] पंच				
श्री	[illegible] पंच				
श्री	किशन पंच				
श्री	मनहर पंच				

सचिव
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
जनपद पंचायत धरमजयगढ़

सरपंच
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
ज0प0-धरमजयगढ़

(मुहर: कार्यालय ग्राम पंचायत ... क्र0 ... दि0 ...)

क्रमांक .... दिनांक .... ग्राम पंचायत ....

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक [illegible]
01	[illegible]	[illegible]

प्रति,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

धरमजयगढ़

विषय :- रायगढ़ जिले के अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुन: निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 2549/वा/तह/2020 धरम० दिनांक 8/12/2020

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मुझे 10 ग्राम गवरखुड़ी को कार्यालय परियोजना प्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर छ.ग. के पत्र क्र. 1648/तक/खंड-3/ए.डी.20 ए.डी.बी./2019-2020 बिलासपुर दिनांक 28/12/2019 प्राप्त। जिसमें धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का पुन: निर्माण एवं उन्नयन कार्य ए.डी.बी. लोन-3 के अंतर्गत

प्रस्तावित है। उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम
1980 के तहत 355,360 PF से प्रभावित रकबा
0.213, 0311 हेक्टेयर वन सेल/निजी क्षेत्र है किसी
भी व्यक्ति के वन अधिकार की मान्यता अधिनियम
2006 के तहत वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं है।
प्रस्तावित मार्ग पर बंजारी मंदिर स्थित है।

अतः अग्रिम उचित कार्यवाही हेतु
सादर समर्पित है।

Pramod Pathak
PCN- [illegible]
Teh.-Dharamjaigarh

का कार्यवाही विवरण

ग्राम ग्वारधुरी ग्राम पंचायत ग्वारधुरी दिनांक ....

स्थान ग्वारधुरी

आज दिनांक .... को ग्राम ग्वारधुरी के सरपंच श्री/श्रीमती तारावती राठिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य .... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम ग्वारधुरी मे आवेदक A.D.B.(P.O.D) मे (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ख.स. 360- 0.213, 355- 0.311 हे. हे. वन भूमि 0.524 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.524 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ADB सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
01	ग्वारधुरी	निरंक	00-00
	ग्वारधुरी	निरंक	00-00

ख.स. क्र. 360- 0.213, 355- 0.311 हे.

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि .... हे. वन भूमि 0.524 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.524 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स E.O.P. सड़क प्रा. एवं (आवेदक) बिलासपुर A.D.B.(P.O.D) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

परिक्षेत्र सहायक धरमजयगढ़ पूर्व

वन अधिकार समिति अध्यक्ष

तारावती
सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुर
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ.ग.)

समरलाल राठिया
अध्यक्ष / सचिव
वन भू.अधिकार समिति
ग्राम पंचायत–ग्वारधुरी
ज.पं. धरमजयगढ़, जि.रायगढ़(छ.ग.)

हस्ताक्षर ....
नाम ....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना कक्ष क्र. 360-0.213, 355-0.311 कुल-0.524 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर ग्वारघुटरी............ आश्रित ग्वारघुटरी ग्राम ....ग्वारघुटरी.......... को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

सचिव
ग्राम पंचायत—लक्ष्मीपुर
ज0पं0—धरमजयगढ़
जिला—रायगढ़(छ0ग0)

तारावती
सरपच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ
जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर्व

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर के परिक्षेत्र धरमजयगढ़ में कक्ष क0 360-0.213 एवं 355-0.311 कुल वनभूमि 0.524 हे0 हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक........................ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर्व
वन विभाग के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

तारावती
सरपच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुर
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ0ग0)

रामरतन राठिया
अध्यक्ष सचिव
वन भू.अधिकार समिति
ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर
ज.प. धरमजयगढ़, जि.रायगढ़(छ.ग.)

वन अधिकार समिति
हेमन्त यादव

कार्यवाही बैठक की नकल

ग्राम-पंचायत लक्ष्मीपुर दिनांक 02-12-2020

विकास खण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
	श्रीमती तारावती	प्र०क्र० 16 पर	आज दिनांक 02-12-2020 को सरपंच	उक्त प्रस्ताव	01
	राठिया सरपंच	धरमजयगढ़ से	श्रीमती तारावती राठिया की अध्यक्षता	उपस्थित	
	श्री मनोज सिंग	कापू. 32.59 कि०	में पंचायत बैठक आयोजित किया	पंचों की	
	उपसरपंच	मी० वन अधिकार	गया कि सर्व उपस्थित पंचों के	सर्व सहमती	
	अमर साय पंच	समिति के	समक्ष निर्णय लिया कि धरमजयगढ़	से पारित	
	मनोज कुमार	संबंध में वन	से कापू. मार्ग 32.59 कि.मी. चौड़ीकरण	किया गया।	
	भुनेश्वर	अधिकार नियम	एवं नवीनीकरण में वन अधिकार नियम		
	अमीत कुमार	2006 धारा (3) 1	2006 के अन्तर्गत कक्ष PF 360.0313,		
	दिवाकर	एवं 3(2) के	355.031 0.324 हे० वन परिक्षेत्र		
	श्रीमती सबीना	संबंध में।	गवरछुटरी में वन अधिकार समिति एवं		
	बिराजिनियां		ग्राम सभा के द्वारा भूमि व्यवपर्तन के		
	सुमीला		अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति		
	सुनीता		और गैर परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़		
	निराली		के तहत ग्राम गवरछुटरी में रोड के समीप		
	सुकवारा		किसी को वनअधिकार पत्र प्रदाय नही		
	फुलकुंवर	सत्यप्रतिलिपि	किया गया।		

तारावती

सचिव — ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर, ज०पं०—धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़ (छ०ग०)

सरपंच — ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर, जनपद पंचायत धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 00/15 दिनांक 02-12-2020 ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर

263

ग्राम सभा नकुना की बैठक दिनांक ....

का कार्यवाही विवरण

ग्राम नकुना ग्राम पंचायत नकुना दिनांक ....

स्थान नकुना

आज दिनांक .... को ग्राम नकुना के सरपंच श्री/श्रीमती बंधुराम एक्का की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के धोबसाय 957 सदस्य 55/100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम नकुना मे आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष 641 हे. वन भूमि 0.462 हे० राजस्व वन भूमि कुल 0.462 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 0.462 हे० कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	नकुना	निरंक	0.00
2	नकुना	निरंक	0.00

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष 641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.462 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स लोक निर्माण विभाग (आवेदक) बिलासपुर (A.D.B.) (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बंधुराम एक्का
सरपंच
ग्राम पंचायत नकुना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्रा पं –नकना
ज पं - धरमजयगढ़

सचिव वन स० सदस्य

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
हस्ताक्षर अनुभाग–धरमजयगढ़ (छ.ग.)
नाम धोबसाय 957

सीताराम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना ख.न. 641 - रकबा 0.42 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत नकना ....आश्रित नकना ग्राम पंचायत नकना ....को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

सचिव
ग्रा पं —नकना
ज़ पं - धरमजयगढ

सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील

सचिव सरपंच

265

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्न्यन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम नकना के परिक्षेत्र धरम. में कक्ष क्र0 641 .... वनभूमि 0.462 हे0 हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक........................ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर **वन विभाग के हस्ताक्षर**

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

[signature]
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
ज.पं. धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन अधिकार सदस्य
(1) [signature]
(2) [signature]

ग्राम सभा .... की बैठक दिनांक ....

का कार्यवाही विवरण

ग्राम खम्हार .... ग्राम पंचायत खम्हार .... दिनांक 28/11/2020

स्थान सामुदायिक भवन खम्हार

आज दिनांक 28/11/2020 को ग्राम खम्हार के सरपंच श्री/श्रीमती .... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य .... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम खम्हार मे आवेदक A.D.B (PWD) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व/वन भूमि कुल 0.486 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि कक्ष 629 रकबा 0.486 हे. सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	खम्हार	निरंक	—
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.486 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] (आवेदक) [illegible] (ADB) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

वन समिति सदस्य

(1) लक्ष्मीप्रसाद [illegible]

(2) Rathiya

(3) [illegible] राठिया

सचिव
ग्राम पंचायत–खम्हार
ज.पं.–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ0ग0)

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.–धरमजयगढ़

हस्ताक्षर ....
नाम ....

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम पो0–खम्हार
तहसील–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना....................हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ....खम्हार...............आश्रित खम्हार ग्राम ....खम्हार...............को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

सचिव
ग्राम पंचायत–खम्हार
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ0ग0)

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.–धरमजयगढ़

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

268

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम .... के परिक्षेत्र .... में कक्ष क्र0 .... वनभूमि...हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक........................ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सलि निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.–धरमजयगढ़

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम पो0–खम्हार
तहसील–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

①
② जगसिंह राठिया
③ Bothwy

प्रति,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

तहसील–धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़(छ0ग0)

विषयः– रायगढ़ जिला अंतर्गत धरमजयगढ़–कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.956 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करकने हेतु वन–अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने जांच प्रतिवेदन पेश करने बाबत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 2549 / वा0ना0तह0 / 2020 धरमजयगढ़ दिनांक 08 / 12 / 2020

...........................000...........................

विषयांतर्गत ग्राम सोनपुर प0ह0नं0–14 रा0नि0मं0–कापू तहसील–धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़(छ0ग0) के क्षेत्रांतर्गत मुख्य मार्गो के समानांतर व्यवपर्तित होने वाले वनभूमि एंवं राजस्व वन भूमि का वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु हल्का पटवारी व उपस्थित ग्रामवासी के समक्ष खसरा नम्बर 80 व 35 रकबा क्रमशः 1.762, 1.773 हे0 भूमि का जांच किया गया।

1. आवेदित भूमि 80आर0 एफ0, 35 आर0 एफ0 रकबा क्रमशः 1.762, 1.773 हे0 वन विभाग की रिजर्व फारेस्ट की है, कोई कब्जा नहीं है।
2. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत किसी को वन–अधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया है।
3. आवेदित भूमि में कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास नहीं करते है।
4. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत कोई शासकीय पाठशाला, आंगनबाड़ी अस्पताल व शासकीय सेवा विद्यामान नहीं हैं।
5. आवेदित भूमि क्षेत्रांतर्गत कोई चारागाह व खेल मैदान हेतु प्रस्तावित नहीं है।
6. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है।

संलग्न प्रति

1. पंचनामा

पटवारी
संजय कुमार राठिया
प.ह.न 14 तह.धरमजयगढ़ (छ.ग.)

10/02/21

ग्राम सभा सोनपुर की बैठक दिनांक ....

का कार्यवाही विवरण

ग्राम सोनपुर ग्राम पंचायत सोनपुर दिनांक 15/12/2020

स्थान सोनपुर आज दिनांक 15/12/20 को ग्राम सोनपुर के सरपंच श्री/श्रीमती बलवती तिर्की की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के रामकुमार राठिया सदस्य 55/100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम सोनपुर मे आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष 80/35 हे. वन भूमि 1.762 हे. राजस्व वन भूमि 1.773 कुल 3.535 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 3.535 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	सोनपुर	निरंक	0.00
	सोनपुर	निरंक	0.00

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष 80/35 हे. वन भूमि 1.762 1.773 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 3.535 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ई.ग.सड़क परि. प्रबंधन (आवेदक) बिलासपुर ADB (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बलवन्ती तिर्की
सरपंच
ग्राम पंचा.-सोनपुर
ज.पं.-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़(छ.ग.)

हस्ताक्षर Ramkumar
नाम रामकुमार (अध्यक्ष)

(1) सुखनाराम
(2) नाहर साय

परिक्षेत्र सहायक
सरिया

27

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित केया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना कक्ष क्र. 80-35 रकबा 3.535 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ..सोनपुर.................... आश्रित सोनपुर ग्राम ....सोनपुर............. को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

बलवन्ती तिर्की
सरपंच
ग्राम पंचा.-सोनपुर
ज.पं.-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग)

सचिव
ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

परिक्षेत्र सहायक
सरिया

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

पटवारी
संजय कुमार राठिया
प.ह.नं 14,तह.धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनपुर के परिक्षेत्र कापू .... में कक्ष क्रं0 80-35 RF .... वनभूमि...हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है। 3.535 हे0

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक...................... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सलि निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

परिक्षेत्र सहायक
सरिया

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर

सरपंच
ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़(छ.ग.)

बलवन्त तिर्की
सरपंच
ग्राम पंचा.–सोनपुर
ज.पं.–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ.ग)

वन अधिकार समिति सदस्य
(1) सुखाराम
(2) लोहर साय

पटवारी
संजय कुमार राठिया
प.ह.न 14.तह.धरमजयगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय, ग्राम-पंचायत सोनपुर

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 15.12.2020

विकास खण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमति चन्द्रावती तिर्की (सरपंच)	प्रस्ताव क्र 02	आज दिनांक 15/12/2020 को श्रीमति चन्द्रावती तिर्की सरपंच की	उक्त प्रस्ताव	[illegible]
2	" रामबाई वर्मा (उप०)	धरमजयगढ़ से	अध्यक्षता में उपस्थित पंचों के समक्ष निर्णय लिया गया जिसमें	सर्वसम्मति से प्रस्ताव	
3	" जानकी बाई	कापू 35.59	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग 32-59 किमी० चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण	पारित किया गया	
4	" रमला बाई	किमी० वन	में वन अधिकार नियम 2006 के धारा [illegible]		
5	" ललिता [illegible]	अधिकार	[illegible] 80 RF रकबा - 176.2 हे (वन भूमि) - 35 RF - 2.535 हे०		
6	" [illegible] मांझी	समिति के	वन परिक्षेत्र सोनपुर में वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा के द्वारा भूमि		
7	" सुनीता मिश्रा	संबंध में	व्यवस्थापन कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी [illegible]		
8	" सुनीता मांझी		के तहत ग्राम सोनपुर में मेन रोड को समीप किसी को		
9	श्री [illegible] मांझी		वन अधिकार पत्र प्रदाय नहीं किया गया है।	सत्य प्रतिलिपि	
10	" [illegible]				
11	" महादेव राठिया				
12	" रामवीर [illegible]				
13	" सुखसागर				
14	श्रीमति [illegible] पण्डो				

क्रमांक 02 दिनांक 15.12.2020

सचिव सरपंच ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़(छ.ग.)

संलग्न प्रति

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील धरमजयगढ़
जिला- रायगढ़ (छ.ग)

विषय:- मुख्य मार्ग कापू से धरमजयगढ़ मे आने वाले राजस्व एवं वन भूमि के वन अधिकार मान्यता पत्र के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि धरमजयगढ़ से कापू मुख्य मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य मे आने वाले वन क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अपवर्तित होने वाले वन भूमि एवं राजस्व भूमि के संबंध मे ग्रामवासियों एवं सभी कब्जेदारों से पूछताछ किया गया जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि अपवर्तित भूमि प्रस्तावित जो शासकीय है उसमें किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र नहीं मिला है है।

अतः महोदय के पास उचित कार्य हेतु सादर सम्प्रेषित।

पटवारी
(गोपाल कुमार)
प.ह.नं.-07, रा.नि.मं.-छाल
तह.धरमजयगढ़(छ.ग.)

10/02/2

का कार्यवाही विवरण

ग्राम नकना ग्राम पंचायत नकना दिनांक 11/12/2020

स्थान नकना

आज दिनांक 11/12/2020 को ग्राम नकना के सरपंच श्री/श्रीमती बंधुराम एक्का की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के 55/100 सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम नकना मे आवेदक ADB ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 85.641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.462 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 0.462 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	नकना	निरंक	0.00
2	नकना	निरंक	0.00

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 85.641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.462 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स लोक निर्माण विभाग सेतु (आवेदक) बिलासपुर ADB (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बंधुराम एक्का
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्रा प -नकना
ज प - धरमजयगढ़

पटवारी

सचिव वन स० नकना

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
अनुभाग-धरमजयगढ़ (छ.ग.)

नाम घोबसार पास्त

दीतराम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना कक्ष क्र. 644 रकबा 0.42 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है । वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ..नकना..................... आश्रित नकना ग्राम ..पंचायत नकना.......... को कोई आपत्ति नहीं है , बल्कि पूर्ण सहमती है ।

सचिव
ग्रा पं –नकना
ज.पं - धरमजयगढ

सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील

सचिव सरपंच

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रातवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम नकना के परिक्षेत्र धरम........ में कक्ष क्र0 641........ .... वनभूमि 0.462 हे0........हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक 11/12/2020 राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि. ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर
जमरगीडी

सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पटवारी
(गोपाल कुमार)
रा.नि.मं.-कापू

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
वनभाग-धरमजयगढ़(छ.ग.)

वन अधिकार सदस्य
(1) देवराम
(2) जादर

कार्यालय ग्राम पंचायत- नकना

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 11/12/2020

सत्य

विकासखण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों
1	श्री पचुराम एक्का	काबु - धरमजयगढ़ मार्ग 32.596 कि.मी. में प्रभावित ग्राम नकना के वन भूमि की सहमति प्रस्ताव	आज दिनांक 11/12/2020 को सरपंच श्री पचुराम एक्का के अध्यक्षता में आयोजित पंचायत बैठक में काबु धरमजयगढ़ मार्ग 32.596 Km. में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक 641 रकबा 0.482 हे. प्रभावित हो रहा है जिसमें ग्राम नकना अन्तर्गत वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के तहत ग्राम के किसी व्यक्ति को वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ एवं अन्य परम्परागत वननिवासी को धारा 3(2) के तहत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है जिससे ग्राम नकना को कोई आपत्ति नहीं है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया	14
2	॥ बैधनाथ राठिया				
3	॥ केशव छुरा				
4	॥ शिवकुमार राठिया				
5	॥ प्यारेलाल				
6	॥ उदयराम				
7	॥ जनकराम				
8	श्रीमती देवन्ती राठिया				
9	॥ सानोबाई राठिया				
10	॥ सुनीता एक्का				
11	॥ ज्योति मिंज				
12	॥ जिरोनिका तिर्की				
13	॥ अमरलाल यादव				
14	॥ नक्की तिर्की				

सचिव
ग्रा.पं. — नकना
ज.पं. - धरमजयगढ़

पचुराम एक्का
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.पं.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक.............. दिनांक.............. ग्राम पंचायत..............